अनुबंध

(12 सितंबर 2002 का ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं,18)

क्रमांक	विषय	परिवर्तन
1	**ज्ञापन का विस्तार-क्षेत्र**	पहले के सामान्य बीमा ज्ञापन के अनुदेशों के दायरे में केवल सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां ही आती थीं। वर्तमान सामान्य बीमा ज्ञापन के अनुदेश सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ-साथ बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत बीमा कंपनियों पर भी लागू हैं।
2	पुन:बीमा व्यवस्था	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की पुन: बीमा-व्यवस्थाएं संबंधित बीमा कंपनियों के निदेशक मंडलों द्वारा तय की जानी हैं और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को केवल सूचित करना अपेक्षित है। इन बीमा कंपनियों द्वारा पदनामित प्राधिकृत व्यापारियों को अब ऐसी अनुमोदित पुन: बीमा-व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने पर भारतीय रिजर्व बैंक को बिना बताए प्रेषण भेजने की अनुमति है ।
3	स्थानीय दलालों द्वारा पुन: बीमा-प्रीमियम के प्रेषण	प्राधिकृत व्यापारियों को, समुद्रपारीय बीमा कंपनी से डेबिट नोट, लेखा विवरण तथा दलाल का नकदी सत्यापित करते हुए सनदी लेखाकार से एक प्रमाणपत्र के सत्यापन के बाद स्थानीय दलालों द्वारा पुन: बीमा-प्रीमियम के प्रेषण भेजने की अनुमति देने के लिए मंजूरी दी गयी है ।
4	विदेश में विदेशी मुद्रा खाते	विदेशों में किये गए सामान्य बीमा के कारोबार के प्रयोजन से हुए आकस्मिक व्ययों और लेनदेनों की सुगमता के लिए सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कंपनियों को भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, बनाए रखने तथा रखने की अनुमति है ।
5	विदेशी मुद्रा में दावों	विदेशी मुद्रा में जारी पालिसियों के संबंध में विदेशी मुद्रा में

	का निपटान	दावों के निपटान के लिए अब बीमा कंपनियों को ज्ञापन में उल्लिखित कतिपय शर्तों पर,अब पहले की भाँति भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे बिना प्रेषण भेजने की अनुमति प्रदान की गई है।

सामान्य बीमा ज्ञापन(जीआईएम)

भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी सामान्य बीमा ज्ञापन

प्रस्तावना

भारत में सामान्य बीमा का कारोबार,बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है ।

ज्ञापन का विस्तार

2. (i) सामान्य बीमा का कारोबार को नियंत्रित करने वाला भारत में लिखित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम इस ज्ञापन में दिया गया है।

(ii) इस ज्ञापन में निहित निदेश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 10(4) तथा धारा 11(1) के अधीन जारी जारी किये गये हैं।

परिभाषाएं

3. इस ज्ञापन के प्रयोजन से इसमें आए शब्द “भारत का निवासी “ और “विदेशी मुद्रा “का वही अर्थ लगाया जायेगा जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 में है।

बैंक नकदीकरण प्रमाणपत्र

4. **जहाँ बीमाकर्ताओं को** विदेशी मुद्रा में मिलने वाली किश्तों पर विदेशी मुद्रा में लिखित पालियां जारी करने की अनुमति प्रदान की गयी है , उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने के लिए जोर देना चाहिए कि प्रीमियम का भुगतान, बैंकिंग माध्यम से अथवा प्राधिकृत

व्यापारी को विदेशी मुद्रा बेचकर उससे प्राप्त अथवा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक से प्राप्त रुपया करेंसी,में किया जा रहा है ।

निवासियों द्वारा भारत से बाहर प्रत्यक्ष बीमा

5.भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों, फर्मों ,कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, विदेशों में किसी प्रकार के बीमा कवर लेने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्टीयकरण)अधिनियम, 1972 के तहत भी ऐसे मामलों में अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।

नेपाल और भूटान में लेनदेन

6. नेपाल और भूटान में निवास करने वाले भारतीय, नेपाली तथा भूटानी व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय, नेपाली तथा भूटानी फर्मों की शाखाओं,कंपनियों अथवा इन दो देशों में अन्य संगठनों को,भारतीय रुपयों में कारोबार करने वालों को भारत का निवासी माना जाता है । समुद्री तथा गैर- समुद्री पॉलिसियां पर ऐसे लोगों के दावों का भुगतान मुक्त रूप से रुपयों में किया जा सकता है । विदेशी मुद्रा में प्रीमियम लिए गये मामलों को छोड़कर समुद्री तथा गैर- समुद्री दावों के विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए भारतीय रिज़व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

ज्ञापन निम्नवत् चार भागों में विभक्त है:-

भाग- क	:	समुद्री बीमा
भाग-ख	:	गैर समुद्री बीमा
भाग-ग	:	पुनः बीमा
भाग-घ	:	विदेश में विदेशी मुद्रा खाते तथा निवेश

भाग-क- नौवहन बीमा

मुद्रा जिसमें नौवहन बीमा पॉलिसियां जारी की जा सकती हैं:

क.1 (i) समुद्रतटीय शिपमेंट पर नौवहन बीमा पॉलिसियां केवल भारतीय रुपये में जारी की जा सकती हैं।

(ii) भारत तथा और किन्हीं अन्य देशों के बीच तथा भारत से बाहर दो स्थानों के शिपमेंट पर समुद्री बीमा पॉलिसियां भारतीय रुपये में अथवा किसी विदेशी मुद्रा में जारी की जा सकती हैं।

निर्यातों को कवर करने वाली नौवहन **बीमा पॉलिसियां**

क.2 भारत से निर्यातों पर , नौवहन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान भारतीय रुपये में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्यातक बीमाकर्ता को इनमें से किसी एक आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि (क) विदेशी क्रेता तथा उसके बीच हुए करार के तहत ,संदर्भित शिपमेंट के लिए बीमा प्रभारों का वहन उसके द्वारा किया जाना है और वह किसी अनिवासी की तरफ से भुगतान नहीं कर रहा है ।

(ख) वह माल के विदेशी क्रेता के कारण,संदर्भित शिपमेंट के लिए बीमा प्रभारों का भुगतान कर रहा है और बीजक में यह राशि जोड़ देने तथा इस प्रकार किया गया भुगतान क्रेता से,अनुमोदित तरीके से वसूल लेने का वचन देता है ।

टिप्पणी: कभी कभी विदेशी क्रेता, बीमाकर्ताओं को सीधे अथवा अपने समुद्रपारीय कार्यालयों/एजेंटों के माध्यम से अतिरिक्त जोखिम से बचाव में विस्तार के लिए अथवा परिस्थितिजन्य मार्गस्थ जोखिम , जिसके लिए प्रारंभ में भारत में समुद्री बीमा करवाते समय इसका अनुमान नहीं लगाया गया था , संपर्क करते हैं। बीमाकर्ताओं ऐसे विस्तारों की अनुमति दी जा सकती है , बशर्ते कि विदेशी क्रेता से, विदेशी मुद्रा में,अतिरिक्त प्रीमियमों की राशि वसूल की जाए ।

आयातों को कवर करने वाली नौवहन पालिसियों पर प्रीमियम

अ.3 (i) भारत में आयातों की बीमा पॉलिसयों पर प्रीमियम का भुगतान, रुपयों में स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते आयातक बीमाकर्ता को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि (क)समुद्रपारीय बिक्रेता के साथ किये गये करार के अनुसार बीमा का खर्च उसके द्वारा उठाया जाना है । (ख) जहाँ आयात लाइसेंस पर किया जाता है ,आयातक यह सुनिश्चित

करने का वचनपत्र देता है कि बीमा प्रीमियम की राशि यथा समय आयात लाइसेंस पर पृष्ठांकित कर दी जायेगी ।

(ii) सरकारी क्षेत्र (अर्थात केंद्र सरकार,किसी राज्य सरकार,संवैधानिक अथवा सरकारी निकाय तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा) द्वारा आयात के मामलों में बीमा प्रीमियम की राशि रुपयों में स्वीकार की जा सकती है ।

(iii) अन्य सभी मामलों में, जहाँ आयातों के बीमा प्रीमियम का भुगतान रुपयों में करने का प्रस्ताव दिया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगा । इस प्रयोजन हेतु पूरे ब्यौरे देते हुए पत्र के रूप में आवेदनपत्र दिया जाए।

भारत से बाहर के देशों के बीच शिपमेंट को

<u>कवर करते हुए नौवहन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम</u>

अ.4(i) भारत से बाहर के देशों के बीच शिपमेंट को कवर करते हुए नौवहन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम हर हालत में विदेशी मुद्रा में लिए जाएं किंतु ये प्रीमियम रुपयों में स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते कि विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले किसी प्राधिकृत व्यापारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाये कि यह राशि विदेशों से प्राप्त विप्रेषणों की अनुमोदित तरीके से व्युत्पन्न राशि है ।

टिप्पणी:-बीमाकर्ताओं के समुद्रपारीय कार्यालय,चीन और तीसरे देशों के बीच व्यापार को समुद्री बीमा कवर दे सकते हैं और प्रीमियम ले सकते हैं तथा अपने समुद्रपारीय कार्यालयों में रखे खातों से भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दावों का निपटान कर सकते हैं ।

(ii) कभी कभी, कुछ फर्में तथा कंपनियां भारत में मर्चेंटिंग ट्रेड अर्थात विदेशों में एक देश से दूसरे देश को शिपमेंट किया गया तथा भारत में किसी मध्यस्थ देश द्वारा वित्तपोषित माल का वित्तपोषण करती हैं। इनमें से कुछ एक मामलों में , माल की खरीद जहाज पर्यंत नि:शुल्क(एफओबी)/लागत, भाड़ा शर्तों पर और अथवा तथा बिक्री लागत, बीमा और भाड़ा शर्तों पर की जाए तथा समुद्री बीमा कवर की व्यवस्था भारत के मध्यस्थ देश द्वारा की जाए । बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत बीमा कंपनियां,लदान करने वाले तथा गंतव्य बंदरगाहों के बीच, मार्गस्थ जोखिम को सुरक्षा देते हुए रुपयों में अथवा ऐसे मामलों में, मध्यस्थ द्वारा रुपयों में भुगतान किये जाने के बदले इस बात से संतुष्ट होने पर कि संविदा में मध्यस्थ

द्वारा नौवहन बीमा करवाने का प्रावधान है,किसी भी विदेशी मुद्रा में बीमा पॉलिसी जारी कर सकते हैं ।

नौवहन बीमा पॉलिसियों पर दावे

अ.5 किसी व्यक्तियों , फर्मों को देय समुद्री बीमा के दावों का भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में किया जाए , भले ही ही वे पॉलिसियां किसी भी मुद्रा में जारी की गयी हों । जहाँ दावेदार भारत का निवासी न हो, बीमाकर्ता दावे का निपटान दावेदार के विदेशी मुद्रा खाते में धारित राशि की मुद्रा में किया जाये बशर्ते कि वे गुमशुदा क्षतिग्रस्त माल के संबंध में दावेदार के स्वामित्व से संतुष्ट हों,और वह केवल भारत में वास्तविक दावेदार का एजेंट होने के नाते दावा नहीं कर रहा है ।

निर्यातों के दावों का प्रेषण

अ.6 (I) निर्यातों के समुद्री दावों के मामलों में दावों के विप्रेषणों की अनुमति प्राधिकृत व्यापारियों के द्वारा फॉर्म ए-2 में आवेदन करने पर विदेशी मुद्रा में दी दी जायेगी, बशर्ते कि बीमाकर्ता माल की मालकियत, जिस पर दावा किया गया है, उस पर किसी अनिवासी दावेदार का दावा निहित है , से संतुष्ट हो । आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जाएं :-

क. इस प्रयोजन हेतु,बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में पंजीकृत बीमा कंपनी के किसी अधिकारी विधिवत् प्रमाणित दावे का विवरण ।

ख. बीमा पॉलिसी

ग. सर्वेक्षण रिपोर्ट अथवा अन्य हानि संबंधी कोई प्रचलित सबूत ।

घ. बिल अफ लैडिंग अथवा एयरवे बिल

ङ. बीजक की प्रमाणित प्रतिलिपि

च. दावे के समर्थन में सामान्तया अपेक्षित अन्य कोई दस्तावेज ।

जहाँ पर किसी कारणवश मूल दस्तावेज न उपलब्ध हों, मूल दस्तावेज न उपलब्ध होने के कारण बताते हुए उनकी फोटो-कॉपी प्राधिकृत व्यापारी के पास जमा करें । यह व्यवस्था, विदेशी मुद्रा शेषों की पुनः पूर्ति , जिसके लिए भारतीय रिजर्व की विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित है,के विप्रेषणों पर लागू नहीं है ।

टिप्पणी:- उन मामलों में भी जहाँ विदेशी क्रेता को को माल का स्वामित्व अंतरित हो गया हो, यदि अनिवासी दावेदार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होता है तो बीमाकर्ता भारतीय निर्यातकों के पक्ष में दावे का निपटान रुपयों में कर सकते हैं। संबंधित जीआर/पीपी फॉर्म तथा दावे का भुगतान की गयी राशि सहित लेनदेन के ब्यौरे निर्दिष्ट करते हुए निर्यातक को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए जिससे कि वह पोतलादानों की बदली करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सके ।

(II) यदि बीमाकर्ता चाहें तो निर्यातकों को कवर प्रदान करने वाली नौवहन बीमा पॉलिसियों के विरुध्द दावों का निस्तारण समुद्रपारीय दावा निस्तारण एजेंटों के जरिये किया जाए। प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशों में कार्यरत दावा-निस्तारण एजेंटों के पक्ष में परिक्राक्रामी साख-पत्र खोलने और आवश्यक दस्तावेजी सबूतों जैसे कि दावा विवरण, सर्वेक्षण रिपोर्ट, अथवा हानि/क्षति के अन्य दस्तावेजी सबूत पॉलिसी की मूल प्रति, अथवा बीमा प्रमाणपत्रों आदि के सत्यापन के बाद दावों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कतिपय आयात दावों का विदेशी मुद्रा में भुगतान

अ.7 यद्यपि, यह सामान्य नियम है कि उन मामलों में जिनमें कि गुमशुदा, क्षतिग्रस्त आदि माल का स्वामी आयातक ही हो, आयातों के दावों का निस्तारण वहीं रुपयों में कर दिया जाए। बीमाकर्ता निम्नलिखित श्रेणियों के आयातों के समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में उनके विदेशी मुद्रा शेषों में से दावों का निस्तारण कर सकते हैं जिससे कि आयातकों से आवेदनपत्र प्राप्त होने पर गुमशुदा,क्षतिग्रस्त आदि माल की शीघ्र बदली आसान हो जाए ।

क. सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात

ख. विदेशी ऋणों के विरुध्द निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात, बशर्ते कि विदेशी ऋणों की शर्तों के अनुसार, गुमशुदा,क्षतिग्रस्त आदि माल की बदली के लिए विदेशी मुद्रा में बीमा कवर लिया जाना अपेक्षित हो ।

ग. अन्य सभी मामलों में,जिनमें कि गुमशुदा, क्षतिग्रस्त आदि माल पर समुद्रपारीय स्वामित्व हो और माल के किसी भी अंग के लिए कोई भुगतान न किया गया हो।

ये प्रावधान न केवल समुद्री बीमा पॉलिसियों पर लागू हैं बल्कि बीमा-सह-इरेक्शन पॉलिसियों पर भी लागू हैं , चाहे वे सामूहिक रूप से अथवा अलग से जारी की गई हों ।

मर्चेंटिंग ट्रेड कवर करने वाली पॉलिसियों पर दावे

अ.8 मर्चेंट ट्रेड को कवर देने वाली भारत द्वारा वित्तपोषित समुद्री बीमा पॉलिसियों पर उपजे दावों का निस्तारण केवल बीमाकर्ताओं द्वारा ऊपने विदेशी मुद्रा शेषों से किया जा सकता है , यदि;

क. माल पर समुद्रपारीय पार्टी का स्वामित्व हो।

ख. जहाँ दावे का निस्तारण समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में किया जाना प्रस्तावित है, आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है , और जहाँ समुद्रपारीय क्रेता के पक्ष में किया जाना प्रस्तावित है, माल के लिए क्रेता से भारतीय मध्यस्थ द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ।

भाग-आ-गैर-नौवहन बीमा आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है

भारत में परिसंपत्तियां

आ.1 भारत में रहने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को भारत के अंदर जोखिमों से बचाव के लिए (सभी बीमा जोखिमों सहित) बीमा पॉलिसियां केवल रुपयों में जारी की जा सकती हैं। यह नियम, विदेशी कंपनियों, बैंकों आदि की भारतीय शाखाओं/ कार्यालयों पर भी लागू है।

भारत से बाहर परिसंपत्तियां

आ.2 भारत में रहने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के संबंध में गैर-नौवहन जोखिमों से बचाव के लिए बीमा पॉलिसियां रुपयों अथवा विदेशी मुद्रा में जारी की जा सकती हैं बशर्ते कि भारतीय राष्ट्रिकों की भारत से बाहर की अचल परिसंपत्तियों,जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की यथा आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई हो । विदेश में, विदेशी मुद्रा में दावों के भुगतान प्रदान करने वाली बीमा पॉलिसियां केवल तभी जारी की जाएं,यदि उनके प्रीमियमों का भुगतान उन भारतीय राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा अपनी सुयोग्य विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में से किए गए हों जो कि विदेश में कम से कम लगातार एक वर्ष तक रहने के बाद भारत वापस आए हों अथवा उनके प्रीमियमों का भुगतान भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे उनके आरएफसी खाते में धारित निधियों से किया जाए । विदेशी मुद्रा में अन्य बीमा पॉलिसियां जारी करने लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा में पॉलिसियां-दावों का निस्तारण

आ 3(I) विदेशी मुद्रा में पॉलिसियां जारी करने के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के दायरे में न आने वाले आवेदनपत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया

जाता है । उन आवेदनपत्रों , जिनमें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा,विदेशी मुद्रा में पॉलिसी जारी करने,विदेशी मुद्रा में प्रीमियम की स्वीकार्यता,विदेशी मुद्रा में दावे का निस्तारण की विशिष्ट अनुमति प्रदान कर दी जाती है,बीमाकर्ता पॉलिसियों के तहत दावों के प्रेषणों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी से संपर्क कर सकता है :-

क. भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति से विदेशी मुद्रा में पॉलिसी जारी की गई है ।

ख. दावा,बीमा कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया है ।

ग. दावे का निस्तारण,सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट तथा अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के अनुसार किया गया है ।

घ. पुन:बीमा से उपजे दावे पुन:बीमाकर्ताओं के पास दायर कर दिये गये हैं और पुन:बीमा सिंवादा के अनुसार प्राप्त कर किए जायेंगे ।

ङ पॉलिसी के तहत,अनिवासी हिताधिकारी को विप्रेषण भेज दिया गया है । निवासी हिताधिकारियों के दावों का निस्तारण,विदेशी मुद्रा में देय सममूल्य रुपयों में किया जा सकता है । निवासी हिताधिकारी को किसी भी हालत में विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

आ.3(ii) बीमाकर्ता, प्रत्येक दावे के समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ विदेशी मुद्रा में अपने द्वारा निस्तारित दावों से संबंधित एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर,भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को ,जिसके क्षेत्राधिकार में वे आते हैं ,प्रेषित करें । ये रिपोर्टें,कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में,15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएं।

मार्गस्थ सामान तथा मूल्यवान वस्तुएं

आ.4 (i) मार्गस्थ सामान तथा मूल्यवान वस्तुओं के लिए भारत और अन्य देशों के बीच अथवा भारत से बाहर दो देशों के बीच बीमा कवर,रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है।

(ii) यदि ऐसे सामान तथा मूल्यवान वस्तुओं का मालिक कोई भारतीय राष्ट्रिक हो अथवा सामान्यतया भारत का निवासी हो, प्रीमियम की वसूली केवल रुपयों में की जाए।अन्य मामलों में, प्रीमियम की वसूली विदेशी मुद्रा में अथवा विदेशी मुद्रा में कारोबार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तक को विदेशी मुद्रा की

सुपुर्दगी से प्राप्त रुपयों से किया जाए । ऐसे भुगतानों के समर्थन में प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तक द्वारा निर्धारित फॉर्म में जारी प्रमाणपत्र लगाया जाना चाहिए।

(iii) जहाँ पॉलिसी धारक सामान्यतया भारत से बाहर का निवासी है और पॉलिसी के प्रीमियम की वसूली या तो विदेशी मुद्रा में की गई है अथवा विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी से प्राप्त रुपयों से की गई है, को छोड़कर,भारत में ऐसी पॉलिसियों के दावों का भुगतान केवल रुपयों में किया । जाए अन्य मामलों में, विदेशी मुद्रा में दावों के प्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति अपेक्षित है ।

(iv) भारत में सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर विदेशी राष्ट्रिकों को,यदि उनकी पात्रता है अथवा भारत से सेवानिवृत्ति के समय उन्हें विप्रेषण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं तो अपने निजी सामान के पु: शिपमेंट की मद में बीमाकर्ता द्वारा उन्हें विप्रेषणों की अनुमति दी जा सकती है ।

नौवहन पोत पर जोखिम बीमा-युध्द आदि

आ.5 युध्द तथा नागरिक उपद्रव,राजनैतिक तथा श्रमिक आंदोलनों के कारण उपजे अन्य संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए कवर देने वाले भारतीय नौवहन पोत के लिए केवल भारत में बीमाकर्ताओं से बीमा कराना अपेक्षित है ।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

आ.6 भारतीय राष्ट्रिकों और सामान्यतया भारत में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के मामलों में व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियां केवल रुपयों में जारी की जाएं और उनके दावों का निस्तारण केवल रुपयों में किया जाए।अन्य मामलों में, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियां विदेशी मुद्रा में जारी जाएं बशर्ते कि उनके प्रीमियमों का भुगतान या तो विदेशी मुद्रा में किया गया हो या फिर प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी से प्राप्त रुपयों से किया गया हो । इन मामलों में दावों का निस्तारण पॉलिसी की मुद्रा में अथवा पॉलिसीधारक द्वारा वांछित रुपयों में किया जाए।

टिप्पणी:- विदेशों में निर्माण तथा तैयार हालत में प्रस्तुत की जाने वाली संविदाएं निष्पादित करने वाली भारतीय कंपनियां विदेशी ठेकों मे वास्तविक रूप से काम कर रहे अपने कामगारों तथा तकनीकी स्टाफ के लिए विदेशी मुद्रा में दावों के

निस्तारण हेतु भारतीय बीमाकर्ताओं से कई बार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर की मांग करना चाहते हैं। बीमाकर्ता ऐसे बीमा की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कि इनके प्रीमियमों की अदायगी इन ठेकों से विदेशी मुद्रा में होने वाली आमदनी में से विदेशी मुद्रा में विप्रेषणों से की जाएगी । ऐसे मामलों में दावों का निस्तारण विदेशी मुद्रा में किया जाए अथवा यदि इच्छित हो तो वहीं रुपयों में कर दिया जाए।

विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए समुद्रपारीय चिकित्सा बीमा योजना

आ.7 किन्ही अनुमोदित दौरे जैसे कि व्यापार,अध्ययन दौरा, विशिष्ट क्षेत्र का कोई प्रशिक्षण,सम्मेलन,रोजगार,अथवा उच्च-स्तरीय अध्ययन के लिए, विदेशों की यात्राएं करने वाले भारतीयों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित समुद्रपारीय चिकित्सा बीमा योजना के तहत भारत में बीमा पॉलिसियां जारी की जा सकती हैं। इन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियमों की वसूली,रोजगार के लिए जाने वाले वाली यात्राओं को छोड़कर,रुपयों मे की जाए और रोजगार के लिए जाने वाले वाली यात्राओं के लिए प्रीमियमों की वसूली विदेशी मुद्रा की जाए। बीमाकर्ता,अंततोगत्वा पॉलिसियों के तहत होने वाले दावों में अपने हिस्से के निस्तारण के लिए लंदन में किसी भारतीय बैंक में एक परिक्रामी साखपत्र खोल सकते हैं ।

आ.8 (i) बीमाकर्ता,निर्यातों के लिए, रुपयों में प्रीमियमों की प्राप्ति के बाद उत्पाद देयता पॉलिसियां और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित भूल-चूक पॉलिसी विदेशी मुद्रा में जारी कर सकते हैं और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में होने वाले दावों ,यदि कोई हों, का निस्तारण विदेशी मुद्रा में कर सकते हैं ।

(ii) कामगार अनुकंपा अधिनियम तथा मर्चेंट नौवहन अधिनियम के तहत जारी पॉलिसियों पर भारत के बाहर उत्पन्न दावों का भुगतान समुचित विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है।

भाग-इ-पुन:बीमा

इ-1. भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत बीमा कंपनियों की पुन: बीमा व्यवस्थाएं कंपनियों द्वारा स्वयं निर्धारित की जानी हैं जो कि भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से संबंधित बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जानी है । इन कंपनियों द्वारा नामित प्राधिकृत व्यापारी , बीमाकर्ताओं द्वारा अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसरण में ऐसी पुन: बीमा व्यवस्थाओं के देय विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं।

इ-2 स्थानीय मध्यस्थों द्वारा पुनः बीमा का विप्रेषण

जहाँ कहीं , स्थानीय मध्यस्थ बीमाकर्ता की तरफ से पुनः बीमा की व्यवस्था कर देते हैं, स्थानीय मध्यस्थ ,उपर्युक्त पैराग्राफ इ-1 के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा पदनामित प्राधिकृत व्यापारी की शाखा के जरिये निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर,प्रीमियम की राशि भेज सकते हैं :-

(i) समुद्रपारीय बीमा कंपनी से संबंधित डेबिट नोट

(ii) इस आशय के प्रमाणपत्र कि पुन:बीमा व्यवसाय की राशि , बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा के भीतर है और पुन:बीमा व्यवस्थाएं भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से संबंधित बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुन:बीमा कार्यक्रम के क्षेत्र-विस्तार की समग्र सीमा के भीतर है , के साथ बीमा कंपनी द्वारा स्वयं निस्तारित प्रीमिया का विस्तृत विवरण

(iii) स्थानीय मध्यस्थ के सनदी लेखाकार से , बीमा कंपनियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों तथा विवरणों के आधार पर तैयार किया गया इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि मांगी गई पुन:बीमा किश्त का प्रस्तावित विप्रेषण बीमा कंपनियों से प्राप्त विभिन्न विवरणों/प्रमाणपत्र करार में हैं ।

भाग-ई-विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते तथा निवेश

विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते

ई-1. इस ज्ञापन में दिये गविनियमों के अनुरूप,विदेशों में किए गये सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंधित/प्रासंगिक खर्चों तथा लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए बीमाकर्ता भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं, रख सकते हैं तथा उन्हे बनाये रख सकते हैं। बीमाकर्ताओं को यह प्रयास करते रहना चाहिए कि उनके विदेशी मुद्रा खातों में सामान्य कारोबार के लिए जरूरी न्यूनतम शेष रहे और विदेशी स्थानों में रखी अतिरिक्त निधियां नियमित रूप से भारत अंतरित की जाएं।

ई-2. **विदेशों में निवेश**

सरकारी/अर्ध्द-सरकारी प्रतिभूतियों में वर्तमान निवेशों का नवीनीकरण,वर्तमान निवेशों के परिपक्वता आगम का पुनः निवेश और विदेशों में धारित निधियों में से नए निवेशों तथा

बैंक निक्षेपों का, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना बीमाकर्ताओं द्वारा मुक्त रूप से निवेश किया जा सकता है, बशर्ते कि वे संबंधित बाहरी देश में वहाँ की सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हों । अन्य सभी निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति अपेक्षित है।